भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1347

11 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: जलवायु अनुकूल कृषि हेतु राष्ट्रीय नवाचार

1347. श्री बाबू सिंह कुशवाहा:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों की आय में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की नई व्यवस्था से किसान किस प्रकार लाभान्वित हुए हैं और किस प्रकार इसकी निगरानी की जा रही है;

(ग) जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए "जलवायु अनुकूल कृषि हेतु राष्ट्रीय नवाचार" परियोजना के अंतर्गत किन-किन क्षेत्रों में नवाचार और सुधार किए गए हैं और यह किसानों को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है; और

(घ) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है और इससे कृषि उत्पादकता तथा किसानों की आय पर किस तरह प्रभाव पड़ने की संभावना है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): राष्ट्रीय सैम्पल सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि वर्ष जुलाई, 2018- जून, 2019 के संदर्भ में एनएसएस के 77वें दौर (जनवरी, 2019 - दिसंबर, 2019) के दौरान कृषि परिवारों का स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) किया है।

एनएसएस 70वें दौर (2012-13) और एनएसएस 77वें दौर (2018-19) से प्राप्त प्रति कृषि परिवार अनुमानित औसत मासिक आय 6426/- रुपये से बढ़कर 10,218/- रुपये हो गई है।

कृषि राज्य का विषय है और भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों, बजटीय आवंटन और विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम किसानों के कल्याण के लिए हैं जिनका उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि, लाभकारी प्रतिफल और किसानों को आय सहायता प्रदान करना है। सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के बजट आवंटन को वर्ष 2013-14 के दौरान 21933.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2024-25 के दौरान 1,22,528.77 करोड़ रुपये कर दिया है। किसानों की समग्र आय बढ़ाने और उत्तर प्रदेश सहित कृषि क्षेत्र में लाभकारी रिटर्न देने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजनाएं/कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्संरचित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)

4. संशोधित ब्याज छूट योजना (एमआईएसएस)
5. एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फ़ंड(एआईएफ)
6. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
7. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम)
8. नमो ड्रोन दीदी
9. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)
10. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
11. स्टार्ट-अप्स और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष (एग्रीश्योर)
12. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
13. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
14. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
15. मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता (एसएचएंडएफ)
16. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
17. कृषि वानिकी
18. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
19. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
20. बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)
21. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
22. समेकित कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)
23. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
24. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल पाम
25. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन
26. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
27. डिजिटल कृषि मिशन
28. राष्ट्रीय बांस मिशन

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने एक पुस्तक जारी की है, जिसमें असंख्य सफल किसानों में से 75,000 किसानों की सफलता की कहानियों का संकलन है जिन्होंने अपनी आय दो गुनी से भी अधिक बढ़ा ली है।

(ख): सरकार राज्य सरकारों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचारों पर विचार करने के बाद कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर 22 अधिसूचित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) तय करती है।22 अधिदेशित फसलों में 14 खरीफ फसलें शामिल हैं, जैसे धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, नाइजरसीड, कपास और 6 रबी फसलें, जैसे गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड और सरसों, कुसुम और दो वाणिज्यिक फसलें, जैसे जूट और खोपरा।

एमएसपी की सिफारिश करते समय, सीएसीपी महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है, जैसे उत्पादन की लागत, समग्र मांग-आपूर्ति की स्थिति, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कीमतें, अंतर-फसल मूल्य समानता, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें, शेष अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव, इसके अलावा भूमि, जल और अन्य उत्पादन संसाधनों का तर्कसंगत उपयोग सुनिश्चित करना और उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत मार्जिन सुनिश्चित करना। एमएसपी फ्रेमवर्क के तहत

फसलों को शामिल करना कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें अपेक्षाकृत लंबी शेल्फ लाइफ, व्यापक रूप से उगाई जाने वाली, बड़े पैमाने पर उपभोग की वस्तु, खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक आदि शामिल हैं।

वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के डेढ़ गुना के स्तर पर रखने के पूर्व-निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने वर्ष 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत रिटर्न के साथ सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की थी। वर्ष 2018-19 से सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी (विपणन सीजन के अनुसार) का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग): बदलती जलवायु के मद्देनजर घरेलू खाद्य उत्पादन को बनाए रखने की चुनौतियों का सामना करने के लिए, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने जलवायु अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवाचार (एनआईसीआरए) नामक एक प्रमुख नेटवर्क परियोजना शुरू की है। परियोजना का उद्देश्य फसलों, पशुधन, बागवानी और मत्स्य पालन सहित कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करना और देश के संवेदनशील क्षेत्रों के लिए कृषि में जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों को विकसित करना और बढ़ावा देना है। परियोजना के परिणामों से सूखा, बाढ़, पाला, गर्म हवाएं आदि जैसी चरम मौसम स्थितियों से ग्रस्त जिलों और क्षेत्रों को ऐसी चरम स्थितियों से निपटने में मदद मिलेगी।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्लू) वर्ष 2014-15 से पूरे देश में वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी) की केंद्र प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है जिसका ध्यान उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) पर केंद्रित है। आरएडी के तहत, फसलों/फसल प्रणाली को बागवानी, पशुधन, मत्स्य पालन, कृषि वानिकी, मधुमक्खी पालन आदि जैसी गतिविधियों के साथ एकीकृत किया जाता है, ताकि किसान न केवल आजीविका को बनाए रखने के लिए कृषि लाभ को अधिकतम कर सकें, बल्कि सूखे, बाढ़ या अन्य चरम मौसम की घटनाओं के प्रभावों को भी कम कर सकें। राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति (एसएलएससी) द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के आधार पर केंद्रीय सहायता जारी की जाती है। आरएडी घटक के अंतर्गत प्रत्येक कृषक परिवार को उनकी भूमि के आकार पर ध्यान दिए बिना 30,000/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(घ): खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में समग्र विकास को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) देश भर में अपनी केंद्रीय क्षेत्र प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र प्रायोजित पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है।पीएमकेएसवाई की उप-योजनाओं के तहत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए 5520 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ उद्यमियों को ज्यादातर ऋण से जुड़ी वित्तीय सहायता (पूंजी सब्सिडी) प्रदान करता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय पीएमएफएमई योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/अपग्रेडेशन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता भी प्रदान करता है।

अनुबंध

न्यूनतम समर्थन मूल्य

(रुपये प्रति क्विंटल में)

क्र.सं.	**वस्तु**	**केएमएस 2018-19**	**केएमएस 2019-20**	**केएमएस 2020-21**	**केएमएस 2021-22**	**केएमएस 2022-23**	**केएमएस 2023-24**	**केएमएस 2024-25**
	खरीफ फसल							
1	धान (सामान्य)	1750	1815	1868	1940	2040	2183	2300
	धान (ग्रेड 'ए')	1770	1835	1888	1960	2060	2203	2320
2	ज्वार (हाइब्रिड)	2430	2550	2620	2738	2970	3180	3371
	ज्वार (मालडांडी)	2450	2570	2640	2758	2990	3225	3421
3	बाजरा	1950	2000	2150	2250	2350	2500	2625
4	रागी	2897	3150	3295	3377	3578	3846	4290
5	मक्की	1700	1760	1850	1870	1962	2090	2225
6	अरहर (तूर)	5675	5800	6000	6300	6600	7000	7550
7	मूँग	6975	7050	7196	7275	7755	8558	8682
8	उड़द	5600	5700	6000	6300	6600	6950	7400
9	कपास (मध्यम रेशा)	5150	5255	5515	5726	6080	6620	7121
	कपास (लंबा रेशा)	5450	5550	5825	6025	6380	7020	7521
10	मूँगफली	4890	5090	5275	5550	5850	6377	6783
11	सूरजमुखी के बीज	5388	5650	5885	6015	6400	6760	7280
12	सोयाबीन पीला	3399	3710	3880	3950	4300	4600	4892
13	तिल	6249	6485	6855	7307	7830	8635	9267
14	नाइजरसीड	5877	5940	6695	6930	7287	7734	8717
	रबी फसल	आरएमएस 2019-20	आरएमएस 2020-21	आरएमएस 2021-22	आरएमएस 2022-23	आरएमएस 2023-24	आरएमएस 2024-25	आरएमएस 2025-26
15	गेहूँ	1840	1925	1975	2015	2125	2275	2425
16	जौ	1440	1525	1600	1635	1735	1850	1980
17	चना	4620	4875	5100	5230	5335	5440	5650
18	मसूर	4475	4800	5100	5500	6000	6425	6700
19	रेपसीड एवं सरसों	4200	4425	4650	5050	5450	5650	5950
20	कुसुम	4945	5215	5327	5441	5650	5800	5940
	वाणिज्यिक फसल							
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
21	जूट	3700	3950	4225	4500	4750	5050	5335
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
22	खोपरा (मिलिंग)	7511	9521	9960	10335	10590	10860	11160
	खोपरा (बॉल)	7750	9920	10300	10600	11000	11750	12000

नोट: सरकार ने 2025 सीजन के लिए मिलिंग खोपरा की उचित औसत गुणवत्ता के लिए 11582/- रुपए प्रति क्विंटल और बॉल खोपरा के लिए 12100/- रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी तय की है। सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए कच्चे जूट (टीडी-3 ग्रेड) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) भी बढ़ाकर 5650/- रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है।

*****